मानवान रवि कुमार बनाम पूर्णराम
वाद मुकदमा नं. 17 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 17 / 2024

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. रवि कुमार पुत्र श्री पूर्ण राम जाति नायक निवासी 26 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. नरेश कुमार पुत्र श्री पूर्ण राम जाति नायक निवासी 26 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिग जरिये कुदरतीवली व माता सरोज पत्नी श्री पूर्ण राम जाति नायक निवासी 26 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....वादीगण

—:: बनाम —::

1. पूर्ण राम पुत्र श्री हरी सिंह जाति नायक निवासी 26 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. श्री हरी सिंह पुत्र लिछमन राम जाति नायक निवासी 26 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मर्ज स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डूंगरसिंहपुरा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री बलराम सुथार	वादीगण
अधिवक्ता राकेश कुमार	प्रतिवादी 1 व 2
पैरोकार राज	(प्रति.–3)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 16.04.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है। प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का दादा हैं एवं वादीगण के पड़दादा लिछमन राम से चक 28 एलएनपी फर्स्ट में खाता संख्या–84 / 71 में मुरब्बा नम्बर – 3 में किला नम्बर–1,9,10,11,12,13 में कुल 1.1390 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न है। उक्त आराजी जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है व प्रतिवादी संख्या – 1 व 2 आपस में सांठ गांठ कर रखी है व नशे के आदि है व आये दिन उक्त आराजी को रहन बैय करने की धमकीया दी जा रही है और उक्त आराजी जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार बनता है व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि उक्त आराजी को वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम करवायें तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे । उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या–2 को अपने पिता यानि वादीगण के पड़दादा लिछमन राम से प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2 हरी सिंह को अपने पिता से चक 26 एलएनपी में 12 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसमें से प्रतिवादी संख्या – 1 व 2 अपने हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान कर चुके है। शेष कृषि भूमि 1.139 हैक्टेयर जोकि वादीगण के हक व हिस्सा की जिस पर काश्त कर अपना जीवन यापन कर रहे है और उक्त रकबा में ढाणी बनाकर निवास कर

अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता रोबरू गवाहान किया गया। वादीगण को चक नम्बर – 28 एलएनपी फर्स्ट के खाता संख्या–84/71 मुरब्बा नम्बर में वादीगण की 1.139 हैक्टेयर कृषि भूमि दी गयी जिस पर कब्जा काश्त शान्तिपूर्वक वादीगण का 3 की चला आ रहा है व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि का बेचान किया कर चुका है व वादीगण के हिस्सा की भूमि ही केवल प्रतिवादी संख्या–2 के नाम चली आ रही ! जोकि पारिवारिक समझौता अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा में आयी हुई है और प्रतिवादीगण नशे के आदि है व आये दिन वादीगण व वादीगण की माता के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते है और धमकीयां देते है कि उक्त कृषि भूमि का बेचान अन्य किसी को कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और वह अपने हिस्सा से वंचित रह जावेगें । वादीगण को चक 28 एलएनपी फर्स्ट में खाता संख्या–84/71 में मुरब्बा नम्बर 3 में किला नम्बर – 1,9,10,11,12,13 में कुल 1.1390 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि जरिये पारिवारिक बंटवारा अनुसार दी गयी है और वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से कई बार आग्रह किया कि पारिवारिक समझौते में प्राप्त उक्त कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार मानते हुए उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवायें तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा टाल मटोल करते हुए दिनांक दृ 01.11.2024 को वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गये यही वाद कारण है एवं इन्कारी के दिनांक से बिना देरी के पेश किया जा रहा है। वादीगण को पारिवारिक समझौता अनुसार प्राप्त कृषि भूमि में वादीगण की ढाणी भी बनी हुई है व अपने हिस्सा की भूमि को काफी रूपया खर्च करके जमीन को उपजाऊ बनाया है एवं बाजार मूल्य अधिक होने के कारण अब प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ गया है व पारिवारिक समझौता अनुसार प्राप्त कृषि भूमि को हड़पना चाहते है व राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज होने के कारण इसका अनुचित लाभ उठाकर वादीगण के हिस्सा को रहन, बैय करने की फिराक में है। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा । इसलिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है । यह कि वर्तमान दावा माननीय न्यायालय को सुनने, ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जो वादकारण से समयवधि में प्रस्तुत है और उचित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है । प्रतिवादी संख्या – 3 लैण्ड होल्डर है इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या – 4 के पास भूमि रहन है इसलिए उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है । लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे : –

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि कृषि भूमि वाका तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित चक नम्बर – 28 एलएनपी फर्स्ट में खाता संख्या – 84 / 71 में मुरब्बा नम्बर दृ 3 में किला नम्बर–1,9,10,11,12,13 में कुल 1.1390 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि का हकदार व खातेदार वादीगण को घोषित करते हुए वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे

(ख) यह कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण स्वंय अथवा किसी अन्य के माध्यम से उक्त भूमि वाद के लम्बनकाल तक तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित चक नम्बर– 28 एलएनपी फर्स्ट में खाता संख्या–84 / 71 में मुरब्बा नम्बर–3 में किला नम्बर–1,9,10,11,12,13 में कुल 1.1390 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय करने से बाज व ममनूं रहे ।

ग– खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

घ– अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में

Scanned with CamScanner

राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उक्त अनवानी प्रकरण में वादपत्र श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण की तारीख पेशी 29.11.2024 नियत है । उक्त प्रकरण में पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है तथा पक्षकारान अब इसप्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। पक्षकारान के मध्य यह तय हुआ है कि द्वितीय पक्षकारान के नाम चक 28 एलएनपी फर्स्ट के खाता संख्या 84 / 71 के मुरब्बा नं. 3 में किला नं. 1, 9, 10, 11, 12, 13 में कुल 1.1390 है0 बारानी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। जो कि जददी जायदाद होने के कारण एवं उक्त कृषि भूमि में प्रथम पक्षकारान का उस से हक व हिस्सा बनता है, खातेदार घोषित करने हेतु डिक्री किया जावे तो किसी भी पक्षकारान को कोई ऐतराज नही होगा । अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि चक 28 एलएनपी फर्स्ट के खाता संख्या 84/71 के मुरब्बा नं. 3 में किला नं. 1, 9, 10, 11, 12, 13 में कुल 1. 1390 है0 बारानी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि में प्रथम पक्षकारान को खातेदार घोषित करने हेतु डिक्री किया जावे। जिसमें किसी पक्षकारान को कोई ऐतराज नही होगा । अतः राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार डिक्री की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071–2074 ग्राम 28 एलएनपी प्रथम, पटवार क्षेत्र गणेशगढ, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 84/71 की प्रति पेश की गई। वकील वादीगण एवम् वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बहस में वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित वंशावली का अवलोकन किया गया। वादी लिछमन राम के नाम से दर्ज पैतृक भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा वाद मे भूमि के पैतृक होने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा लिछमन राम के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समस्त पक्षकारों के अभाव एवं पैतृक साक्ष्यों के अभाव में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप नहीं है। उक्त कारणों से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में एवं वादीग्रस्त आराजी के पैतृक साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner